प्रेस विज्ञप्ति
25.06.2026

बीईओ कट्ठीवाड़ा गबन प्रकरण में ईडी द्वारा 56 आवासीय भू-खंड कुर्क

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), इंदौर उप आंचलिक कार्यालय ने पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के अंतर्गत धार जिले में स्थित **56 आवासीय भू-खंडों** को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। यह कुर्की मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले के कट्ठीवाड़ा स्थित खंड शिक्षा कार्यालय से संबंधित 20.47 करोड़ रुपये की सरकारी धनराशि के धोखाधड़ीपूर्ण बिल पारित करने एवं गबन के मामले में चल रही जांच के संबंध में की गई है।

ईडी ने अलीराजपुर जिले के कट्ठीवाड़ा थाना में पंजीकृत एफआईआर के आधार पर जांच प्रारंभ की थी। यह एफआईआर वर्ष 2018 से 2023 की अवधि के दौरान खंड शिक्षा कार्यालय, कट्ठीवाड़ा से 20.47 करोड़ रुपये के धोखाधड़ीपूर्ण कोषागार भुगतानों से संबंधित है।

ईडी की जांच में यह सामने आया कि कमल राठौर ने अन्य आरोपित व्यक्तियों के साथ मिलीभगत कर अलीराजपुर कोषागार से सरकारी धन का गबन किया। गबन की गई राशि को उसके तथा उसके परिवार के सदस्यों द्वारा नियंत्रित एवं संचालित विभिन्न बैंक खातों के माध्यम से स्थानांतरित किया गया, नकद निकासी की गई तथा बाद में उस धन का उपयोग धार जिले के गंधवानी क्षेत्र में कृषि भूमि खरीदने के लिए किया गया।

आगे की जांच में यह भी सामने आया कि अपराध से अर्जित आय से खरीदी गई कृषि भूमि को बाद में "श्री बालाजी धाम" नामक परियोजना के अंतर्गत आवासीय भू-खंडों के रूप में विकसित किया गया। यह विकास अवैध रूप से अर्जित परिसंपत्तियों के स्रोत को छिपाने तथा दूषित संपत्ति को वैध एवं निष्कलंक) संपत्ति के रूप में प्रदर्शित करने के उद्देश्य से किया गया था। "श्री बालाजी धाम" परियोजना के अंतर्गत विकसित 56 आवासीय भू-खंडों को अनंतिम रूप से कुर्क किया गया है, जिनका बाजार मूल्य 6 करोड़ रुपये से अधिक है।

इससे पूर्व, पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के अंतर्गत की गई तलाशी कार्रवाइयों के दौरान आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए गए थे तथा बैंक खातों को फ्रीज किया गया था। जांच के दौरान धन शोधन अपराध में संलिप्तता पाए जाने पर आरोपी कमल राठौर को गिरफ्तार किया गया था। इसके पश्चात आरोपित व्यक्तियों की 4.43 करोड़ रुपये मूल्य की परिसंपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया गया, जिसकी पुष्टि बाद में दिनांक 10.03.2026 को कर दी गई। इसके अतिरिक्त, कमल राठौर एवं अन्य आरोपित व्यक्तियों के विरुद्ध दिनांक 29.09.2025 को विशेष न्यायालय (पीएमएलए), इंदौर के समक्ष अभियोजन शिकायत भी दायर की गई।

मामले में आगे की जांच प्रक्रियाधीन है